पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 291/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 17.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01. थाना जहानागंज: फिरौती माँगने वाला हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी गिरफ्तार, अवैध असलहा, कारतूस व 01 अर्टिगा कार बरामद।

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 17.09.24 को वादी मुकदमा रामबली राम पुत्र फुलचन्द राम ग्राम पारुपुर, पो0 दौलताबाद थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया अभियुक्त द्वारा मेरे घर पर आकर राइस मिल चलाने के लिए फिरौती की मांग की गयी, न देने पर हत्या करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 498/24 धारा 308(5), 351(2) बीएनएस व 3(2)(v) sc/st act बनाम राकेश यादव उर्फ गुड्डु पुत्र बुद्धिराम यादव ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा की जा रही है। जिसमें आज दिनांक 17.09.24 को गिरफ्तारी व एक अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 499/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश यादव द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 17.09..2024 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शातिर अपराधी राकेश यादव उर्फ गुड्डु पुत्र बुद्धिराम यादव ग्राम अमठागोपालपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 41 वर्ष को शेरपुर रोड की तरफ बद्री यादव इन्टर कालेज हथौटा के पास से 04 पहिया वाहन अर्टिगा व अवैध असलहा कारतूस के साथ समय 04.22 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0स0 499/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त राकेश यादव उर्फ गुड्डू के विरूद्ध संगीन अपराधों में कुल 23 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 675/08 धारा 307 आईपीसी मेहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 472/09धारा 302/201 आईपीसी थाना रानीपुर,मऊ
3 मु0अ0सं0 1057/10 धारा 147/148/149/307 आईपीसी 7 सीएलए एक्ट थाना जहानागंज, आजमगढ़
4 .मु0अ0सं0 1058/10 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 नील/10 धारा 41/411 आईपीसी थाना जहानागंज,आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 नील/10 धारा 41/411 आईपीसी थाना जहानागंज, आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 69/14 धारा 147/148/149/307/308/323/504/506/427 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट थाना जहानागंज, आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 180/14 धारा 392 आईपीसी थाना जहानागंज, आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 184/14धारा 147/148/149/307/586/452/392/323/504/506/336/435/427 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट थाना जहानागंज, आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 214/16 110 सीआरपीसी थाना जहानागंज, आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 542/19 धारा 419/420/468/471 आईपीसी थाना फूलपुर जनपद वराणसी
12. मु0अ0सं0 217/20 धारा 386/504/506 आईपीसी व 3(1)5, 3(1)घ 3(2)5क , एसीएसटी एक्ट थाना जहानागंज , आजमगढ़
13. मु0अ0सं0 195/20 धारा 386/504/506 आईपीसी थाना जहानागंज, आजमगढ़
14. मु0अ0सं0 114/14 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना जहानागंज, आजमगढ़
15. मु0अ0सं0 49/16 धारा 147, 148, 504, 506, 295 भादवि व 3(1) (10) एससी एसटी एक्ट थाना जहानागंज, आजमगढ़
16. मु0अ0सं0 175/11 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज, आजमगढ़
17. मु0अ0सं0 43/23 धारा 323, 324, 325, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज, आजमगढ़
18.मु0अ0सं0 57/23 धारा 447, 506 भादवि थाना जहानागंज,आजमगढ़
19.मु0अ0सं0 550/23 धारा 352/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
20.मु0अ0स0 498/24 धारा 308(5),351(2) बीएनएस व 3(2)(V) Sc/St Act थाना जहानागंज, आजमगढ़
21.मु0अ0सं0 499/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज,आजमगढ़
22. मु0अ0सं0 1095/16 धारा 120-B, 342, 394, 411, 413, 414 भादवि थाना खानपुर जनपद गाजीपुर
23.मु0अ0सं0 263/17 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

02.थाना- फूलपुरः दहेज हत्या में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 16-09-2024 को मुकदमा वादी अनिल विश्वकर्मा पुत्र सुक्खु विश्वकर्मा सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर थाना जिला आजमगढ़ के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि वादी की बहन कंचन विश्वकर्मा की शादी दिनांक 10.05.2023 को राहुल विश्वकर्मा पुत्र टिल्टू विश्वकर्मा सा0 ऊदपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ के करना, शादी के बाद से ही दहेज के लिये ससुराल वालो द्वारा प्रताडित करना,दहेज की माँग न पूरी करने पर जान से मारने की धमकी देना तथा दिनांक 15.9.2024 को समय लगभग 7 बजे मारकर फाँसी पर लटका देने के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 475/24 धारा 80/85/351(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1.राहुल विश्वकर्मा 2.,गुड्डू विश्वकर्मा 3.रवि विश्वकर्मा पुत्रगण टिल्टू विश्वकर्मा, 4.गुड्डी पत्नी टिल्टू विश्वकर्मा,5.गुडिया पुत्री टिल्टू विश्वकर्मा.6. अंकित विश्वकर्मा पुत्र बृजलाल 7.सुनीता पत्नी बृजलाल विश्वकर्मा 8., रिया पुत्री बृजलाल विश्वकर्मा समस्त निवासीगण ग्राम ऊदपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय फूलपुर आजमगढ के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनाक 16-09-2024 को उप निरीक्षक दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1 गुड्डू विश्वकर्मा पुत्र टिल्टू विश्वकर्मा, 2.गुड्डी पत्नी टिल्टू विश्वकर्मा, 3. अंकित विश्वकर्मा पुत्र बृजलाल 4.सुनीता पत्नी बृजलाल विश्वकर्मा समस्त निवासीगण ग्राम ऊदपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ को अहिरीपुर जाने वाले मार्ग से समय 06-20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03. थाना गम्भीरपुरः छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2024 को वादिनी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षी करन पुत्र गनेश द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी करने तथा मना करने पर गाली गलौज देना व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय मु0अ0सं0-358/2024 धारा-78/352/351(2) बीएनएस बनाम करन पुत्र गनेश व विपक्षी के माता पिता नाम पता अज्ञात थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 27.08.2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त करन पुत्र गणेश साकिन दयालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को समय करीब 13.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्ययालय किया गया।

04. थाना गम्भीरपुरः अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर विपक्षी रेहान पुत्र नबी द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-349/2024 धारा-87 बीएनएस बनाम रेहान पुत्र नबी अहमद निवासी छाऊँ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में धारा-137(2),64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 27.08.2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वांछित अभियुक्त रेहान पुत्र नवी अहमद साकिन छाऊँ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष को ग्राम रीवां से ईश्वरपुर को जाने वाली मुख्य सड़क तिराहे के पास से समय 12.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05. थाना गम्भीरपुरः चोरी के मुकदमें से सम्बंधित एक पिकअप बरामद

पूर्व की घटना –

अवगत कराना है कि दिनांक 04.9.2024 वादी मुन्नालाल मौर्य पुत्र विहारीलाल मौर्य ग्राम पहाड़ी पोस्ट बरकछा थाना देहात कोतवाली जनपद मिर्जापुर ने थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 03/09/2024 समय 16.30 बजे नन्द ढाबा के पास पेट्रोल टंकी पर अपनी गाड़ी पिकअप न0 UP 63 BT 3976 खड़ी करके शौच के लिए जाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पिकअप को चोरी कर ली गयी के सम्बध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 336/2024 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

बरामदगी का विवरण– दिनांक 16.9.2024 को उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि जो पिकअप चोरी हुई थी उसी गाड़ी पर फर्जी नम्बर प्लेट UP63BT3976 के स्थान पर UP50BT3976 अंकित कर फैसल पुत्र जुम्मन व करिया पुत्र भग्गल निवासीगण गौरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ पशु तस्करी का काम कर रहे हैं और विषहम गांव की ओर से मेहनगर जाने वाले हैं, यदि जल्दी किया जाए तो चोरी की पिकअप बरामद हो सकती है तथा चोर गिरफ्तार हो सकते है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, गाड़ी के पास आने पर उसको रोकवाया गया तो पुलिस को सामने देख गाड़ी चालक फैसल पुत्र जुम्मन व उसके साथ बैठा करिया पुत्र भग्गल निवासीगण गौरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ गाड़ी को विषहम तिराहे के पास छोड़कर भाग गये। उक्त वाहन थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 336/2024 धारा 303(2) BNS से सम्बंधित होने के कारण उक्त वाहन को समय करीब 20.15 बजे कब्जा पुलिस में लेकर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त फैसल पुत्र जुम्मन व करिया पुत्र भग्गल निवासीगण गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा बरामदगी व फर्जी नम्बर प्लेट लगाने के आधार पर धारा 317(2)/318(4)/336(3)/338 BNS की बढ़ोत्तरी की गयी।

06. थाना मुबारकपुरः चोरी की घटना मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व उसके 03 साथी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा मे, चोरी के कुल 25,000/- रूपये व एक सरिया बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक 14.09.2024 को वादी मुकदमा मु0 शाहिद पुत्र अब्दुल काफी निवासी मुहल्ला अमिलो खास थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर लकड़ी के आलमारी मे रखे हुए रूपये चोरी किये जाने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर प्रदान किये जिसके आधार पर मु0अ0सं0 367/2024 धारा 305 BNS पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 17.09.2024 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कैफ शाह पुत्र अबुसाद अहमद उर्फ पप्पू निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को ग्राम अमिलो महाजन का बाग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ, समय 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 03 बाल अपचारी को नियामानुसार पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। जिनके कब्जे से कुल 25,000/- रूपये व घटना मे प्रयुक्त एक लोहे की सरिया की बरामदगी हुई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस-विज्ञप्ति. जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा आरोपी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 05 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़: आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक- 17.10.2003 को वादी मुकदमा गोरख दूबे पुत्र नन्दू दूबे निवासी कपसा थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्तों 1- चन्द्रभान उर्फ झगडू पुत्र गनेश, 2-कल्पनाथ पुत्र दलसिंगार, 3-राधे यादव पुत्र कल्पनाथ समस्त निवासी कपसा थाना कन्धरापुर ने वादी को मारापीटा है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 112/2003 धारा 323, 504 भादवि0 पंजीकृत किया गया तथा दौरान इलाज वादी मुकदमा की मृत्यु हो गयी।

➡मुकदमा उपरोक्त को मु0अ0सं0- 450/2003 धारा 304, 504 भादवि0 मे तरमीम किया गया।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 08 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 17.09.2024 को मा0 न्यायालय ASJ आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए **अभियुक्त चन्द्रभान उर्फ झगडू पुत्र गनेश निवासी कपसा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया है।